



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273310
CG-DL-E-11062026-273310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2817]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2817]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2911(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 293(E) तारीख 20/01/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य में धारवाड़ जिले में NH4 पर किमी 249.00 से 250.050 पुरानी पुणे-बेंगलुरु सड़क और किमी 193.800 से 193.350 (रानीचेन्नम्मा सर्कल) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24/01/2026 को "थे इंडियन एक्सप्रेस [इंग्लिश]", 24/01/2026 को "प्रजावनी" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में हुबली शहर से गुजरने वाले एनएच 63 पर किमी 135.650 से 136.450 अंकोला-गूटी रोड तक भूमि के खंड में एनएच - 63, 4 और 218 का खरखाव, प्रबंधन और संचालन , कर्नाटक राज्य में धारवाड़ जिले में NH4 पर किमी 249.00 से 250.050 पुरानी पुणे-बेंगलुरु सड़क और किमी 193.800 से 193.350 (रानीचेन्नम्मा सर्कल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: धारवाड़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हुबल्ली					
गांव का नाम: हुबल्ली					
1	2888/1ए1	निजी	ड्राय	0.004	1)श्री वसंथा माधवा एँस्/ओ ईश्वरप्पा सवन 2) श्री विष्णू एँस्/ओ गोविंदप्पा सवनरुर 3) एँस्/एँम्टी. इंदुमति डबल्यू/ओ गोविंदप्पा सावनूर 4) श्री महेश एँस्/ओ गोविंदप्पा सावनूर 5) श्री पादुरंगा एँस्/ओ रामान्ना सावनूर 6) श्री विश्वनाथ रामचंद्र सावनूर 7) श्री प्रशांत हनामंथप्पा सावनूर
2	2954/1	निजी	ड्राय	0.002082	1) श्री रामचंद्र एँस्/ओ केशवराव चितागुप्पी 2) एँम्आरएँस्. श्रीदेवी

					डबल्यू/ओ विजयेंद्र कलामंगी
3	2960	निजी	ड्राय	0.004766	1) श्री रामचंद्र एँस्/ओ केशवराव चितागुप्पी 2) एँम्आर्एँस्. श्रीदेवी डबल्यू/ओ विजयेंद्र कलामंगी
4	2965/1	निजी	ड्राय	0.0067	1) श्री रामचंद्र एँस्/ओ केशवराव चितागुप्पी 2) एँम्आर्एँस्. श्रीदेवी डबल्यू/ओ विजयेंद्र कलामंगी
5	2965/2	निजी	ड्राय	0.0028	1) श्री रामचंद्र एँस्/ओ केशवराव चितागुप्पी 2) एँम्आर्एँस्. श्रीदेवी डबल्यू/ओ विजयेंद्र कलामंगी
6	2984	निजी	ड्राय	0.0032	सदाशिवप्पा रंगप्पा दिवागी एंड कंपनी मैनेजर दत्तात्रय बालाकृष्ण चित्तर थे कर्नाटक सेंट्रल सीओ- आपरेटिव बैंक एल्टीडी. धारवाड
7	2985	निजी	ड्राय	0.001633	1) एँस्एँम्टी. नंदा डबल्यू/ओ अनिल जावली 2) श्री कुनाल एँस्/ओ अनिल जावली 3) श्री अनुप एँस्/ओ अनिल जावली
Total				0.025181	

[फा. सं. RW/BNG/NH-63,4&218/105/2019/495/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 2911(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **293(E) Dated:20/01/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH - 63, 4 & 218 in the stretch of land from Km 135.650 to 136.450 Ankola-Gooty Road on NH 63 passing through Hubballi City, from Km 249.00 to 250.050 Old Pune- Bangalore Road on NH4 and from km 193.800 to 193.350 (Ranichennamma Circle) in the district of DHARWAD in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 24/01/2026, “Prajavani” dated 24/01/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 135.650 to 136.450 Ankola-Gooty Road on NH 63 passing through Hubballi City, from Km 249.00 to 250.050 Old Pune- Bangalore Road on NH4 and from km 193.800 to 193.350(Ranichennamma Circle) of NH - No 63, 4 & 218 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: DHARWAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hubballi					
Village: Hubbli					
1	2888/1A1	Private	Dry	0.004	1)Shri Vasantha Madhava s/o Eshwarappa Savan 2) Shri Vishnu s/o Govindappa Savanur 3) Smt. Indumati w/o Govindappa Savanur 4) Sri Mahesh s/o Govindappa Savanur 5) Shri Paduranga s/o Ramanna Savanur 6) Shri Vishwanath Ramachandra Savanur 7) Sri Prashanth Hanamanthappa Savanur

2	2954/1	Private	Dry	0.002082	1) Sri Ramachandra s/o Keshavarao Chitaguppi 2) Mrs. Sridevi w/o Vijayendra Kalamangi
3	2960	Private	Dry	0.004766	1) Sri Ramachandra s/o Keshavarao Chitaguppi 2) Mrs. Sridevi w/o Vijayendra Kalamangi
4	2965/1	Private	Dry	0.0067	1) Sri Ramachandra s/o Keshavarao Chitaguppi 2) Mrs. Sridevi w/o Vijayendra Kalamangi
5	2965/2	Private	Dry	0.0028	1) Sri Ramachandra s/o Keshavarao Chitaguppi 2) Mrs. Sridevi w/o Vijayendra Kalamangi
6	2984	Private	Dry	0.0032	Sadashivappa Rangappa Divagi and Company Manager Dattatraya Balakrishan chittar The Karnataka Central Co-operative Bank Ltd. Dharwad
7	2985	Private	Dry	0.001633	1) Smt. Nanda w/o Anil Javali 2) Sri Kunal s/o Anil Javali 3) Shri Anup s/o Anil Javali
Total				0.025181	

[F. No. RW/BNG/NH-63,4&218/105/2019/495/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director